FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....(SDO) .... मुकाम ....

रेखाराय .... बनाम .... खेताराय वगैरा

किस्म मुकदमा 111, 128 .... नं. 368/2020 सन ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.11.20	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपतपुरी ने यह प्रार्थना पत्र/~~दावा~~/अपील धारा 111, 128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28.11.20 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बागु	
28/11/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील कायम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/02/2021 को पेश हो।	
16/02/2021	पत्रावली पेश हुई वुकलाय फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 19/05/2021 को पेश हो।	
19/05/2021	पत्रावली पेश हुई वुकलाय फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक [illegible]/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:23 IST
Reason: SelfAttested

03/08/2021 पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 25/11/2021 को पेश हो।

25/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल कनिष्ठ लिपिक/पटवारी पीठासीन अधिकारी के राजस्व प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 14/02/2022 को पेश हो।

14/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी गण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 PM पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत [illegible] आये हुए है खेतों के मध्य जो पुरानी मार्क व [illegible] आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइश करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार [illegible] पैमाइश आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइश आवेदन [illegible] तहसीलदार [illegible] को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है [illegible] किया जाता है कि आप स्वयं या अपने [illegible] भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के [illegible] पैमाइश मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) [illegible]

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 1641 दिनांक :– 14/02/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. रेखाराम पुत्र राणाराम वगैरा 3 जाति जाट, निवासी अणदोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल जाखड़ा, तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर	1. खेताराम पुत्र गोमाराम वगैरा 31 जाति जाट, निवासी अणदोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल जाखड़ा, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 368 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – अणदोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल – जाखड़ा, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 410 / 223, 411 / 224, 413 / 224, 415 / 234 रकबा क्रमशः 00.03, 12.00, 29.15, 30.02 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 14/02/2022

क्रमांक / वाद / 2021 / 1642–46

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रेखाराम पुत्र राणाराम वगैरा 3
4. विप्रार्थी श्री खेताराम पुत्र गोमाराम वगैरा 31
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:23 IST
Reason: SelfAttested